भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3340
28 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

इस्पात आयात पर संशोधित अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव

3340 डा. कनिमोझी एनवीएन सोमू :

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात आयात पर संशोधित अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव, विशेष रूप से इस चिंता के संबंध में कि इससे अमेरिका को भारत का निर्यात कम हो सकता है और बाजार में विकृतियां पैदा हो सकती हैं, विशेष रूप से सरकार को वित्तीय नुकसान हो सकता है, का ब्यौरा क्या है ;

(ख) सरकार पिछले वर्ष की तुलना में भारत के इस्पात निर्यात में संभावित 20 प्रतिशत की गिरावट और घरेलू बाजार में इस्पात के अधिशेष से निपटने की योजना किस प्रकार बना रही है, जिससे घरेलू कीमतें, स्थानीय निर्माता और श्रमिक प्रभावित हो सकते हैं ; और

(ग) क्या टैरिफ मुद्दे को हल करने और भारतीय इस्पात उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए अमेरिकी सरकार के साथ कोई चर्चा चल रही है ?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)**

(क) से (ग): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और इसके आयात तथा निर्यात मांग एवं आपूर्ति, बाजार की शक्तियों की गतिशीलता द्वारा निर्धारित होते हैं। सरकार देश में इस्पात क्षेत्र के विकास हेतु अनुकूल वातावरण सृजित कर एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने वैश्विक आधार पर मार्च, 2018 में व्यापार विस्तार अधिनियम, 1962 की धारा 232 के तहत इस्पात पर 25% का अतिरिक्त प्रशुल्क लगाया है। भारत सरकार पारस्परिक रूप से लाभकारी और निष्पक्ष तरीके से द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ाने और व्यापक बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के साथ लगातार बातचीत जारी रखे हुए है। दोनों देशों ने दिनांक 13 फरवरी, 2025 को एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया, जिसमें आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। महत्वाकांक्षी ''मिशन 500'' के तहत, दोनों देशों का लक्ष्य वर्ष 2030 तक अमेरिकी-भारत व्यापार को दोगुने से अधिक करके 500 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंचाना है, जिसे इस्पात सहित कई क्षेत्रों में व्यापार संबंधों को मजबूत करके हासिल किया जाएगा।

*****